यह निरीक्षण आख्या **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रामनगर (नैनीताल)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रामनगर (नैनीताल) के अवधि 04/2014 से 08/2016 तक के लेखा–अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री रविन्द्र कुमार एवं मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.09.2016 से 22.09.2016 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में तक सम्प्रेक्षा पर आधारित संपादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग–प्रथम

(अ) परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के. श्रीवास्तव एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 09.07.14 से 15.07.14 तक श्री बी.डी. सिंह, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 04/2010 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह 04/2014 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिकारियों ने कार्यायाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा :

1.	श्री बी.बी. कोठियाल	06.02.2014 से 08.06.2015
2.	श्री के.पी. सिह	09.06.2015 से 25.07.2015
3.	श्री पी.के. त्यागी	26.07.2015 से वर्तमान तक

3. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन स्थिति :

क्र.सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	प्रस्तर संख्या		
		भाग–2 अ	भाग–2 ब	स्टैन
01	24/2010–11	1	1	–
02	84/2014–15	–	1 एवं 2	–

4. सतत् अनियमिततायें – शून्य

5 . अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित) – शून्य

6. बजट :

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष			
		2013-14	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1	आरम्भिक अवशेष	53.65	123.37	15.06	6.58
2	वर्ष में कुल प्राप्तियां				
	केन्द्रांश	28.37	18.52	24.21	11.53
	राज्यांश	28.37	18.52	24.21	5.13
	अन्य श्रोतो से	408.56	707.96	326.08	100.43
3	कुल योग (1+2)	518.95	868.37	389.56	123.67
4	वर्ष के दौरान कुल व्यय	395.58	853.31	382.98	69.47
5	अंतिम अवशेष (3–5)	123.37	15.06	6.58	54.20

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : ` 107.15 लाख का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय–3 के बिन्दु 27 के अनुसार यदि सिविल निर्माण कार्य की लागत ` 1.00 लाख से अधिक एवं ` 15.00 लाख के मध्य हो तो सीमित निविदा के माध्यम से निविदा के आधार पर कार्य निष्पादित किया जाना चाहिए। सिविल निर्माण कार्य की न्यूनतम लागत में शासन द्वारा 31 अगस्त 2012 में संशोधन कर ` 2.00 लाख किया गया। बिन्दु संख्या 43 के अनुसार नियम–30 एवं 31 में दिये गये प्रतिनिधायन के अधीन, यदि किसी विभाग द्वारा स्वयं किसी कार्य को किए जाने का निर्णय लिया जाता है तो जिन कार्यों की लागत ` 5.00 लाख से अधिक हो उसमें खुली निविदा एवं जिन कार्यों की लागत ` 5.00 लाख तक हो उन प्रकरणों में सीमित निविदा की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद नैनीताल के विकासखण्ड रामनगर के अन्तर्गत छोई, कांनिया–चिकित्सा एवं मालधन चौउ में पुरानी एवं क्षतिग्रस्त पी.सी.सी. पाईप लाईन के स्थान पर नई जी.आई. पाईप बिछाने हेतु मा. मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 484/2013, 485/2013 एवं 486/2013 के परिपालन में ` 107.42 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 18 जून 2014 को प्रदान की गई। महाप्रबन्धक (कुमाऊँ) द्वारा ` 107.41 लाख की तनीकी स्वीकृति खण्ड कार्यालय द्वारा प्रेषित प्राक्कलन (छोई : ` 38.38 लाख, कांनिया–चिल्कया : ` 39.71 लाख का मालधन चौड : ` 29.32 लाख) के सापेक्ष 05 जुलाई 2014 में प्रदान की गई। स्वीकृति आदेश के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों के अनुरूप किए जाए।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रामनगर (नैनीताल) के मरम्मत से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि खण्ड कार्यालय द्वारा उक्त पेयजल योजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि ` 107.41 लाख का मरम्मत कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विपरीत स्थानीय ठेकेदारों से दरें प्राप्त कर कोटेशन के आधार पर किया गया, जिसमें ठेकेदारों को ` 107.15 लाख (छोई : ` 38.24 लाख, कांनिया–चिल्किया : ` 39.71 लाख एवं मालधन चौड : ` 29.20 लाख) भुगतान के साथ कार्य क्रमशः छोई : 27.01.2016, कांनिया–चिल्किया : 04.07.2015 एवं मालधन चौड : 30.03.2015 में पूर्ण किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया कि सम्बन्धित पेयजल योजनाएं मा. मुख्यमंत्री की घोषणा में होने एंव समय पर जनता को पेयजल उपलबध कराए जाने के उद्देश्य से कार्य कोटेशन के आधार पर कार्य करवाए गये। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सवीकृत कार्य यदि मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के भी थे तो उनके सम्पादन हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का पालन अवश्य किया जाना चाहिए था, जो कि इन मामलों में नहीं किया गया।

अतः ` 107.15 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : ` 254.40 लाख व्यय किए जाने के बावूद भी वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न होना।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, ए.डी.बी., लो.नि.वि., रूद्रपुर द्वारा ढाकिया–खरमासा मोटर मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु कुण्डेश्वरी पेयजल येाजना के अन्तर्गत आने वाली पाइप लाईन शिफ्टिंग किए जाने हेतु ` 291.21 लाख (अप्रैल 2014 : ` 40.03 लाख का जून 2014 : ` 251.18 लाख एवं 54.41 लाख) के आगणन के सापेक्ष ` 254.40 लाख (05.04.2014 ` 54.40 लाख एवं 30.06.2014 : ` 200.00 लाख) निक्षेप मद के अन्तर्गत अवमुक्त किए। उक्त अवमुक्त धनराशि से जैतपुर से बरखेडी (लोहिया पुल) एवं ढाकिया–खरमासा की पुरानी पाइप लाईन के स्थान पर नई पाईप शिफ्टिंग की जानी थी, ताकि जन समुदाय को पेयजल की सुविधा मोटर मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कारण बाधित न रहे।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड उत्तराखण्ड जल संस्थान, रामनगर (नैनीताल) के कुण्डेश्वरी पेयजल योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की विस्तृत जांच में पाया गया कि उक्त पेयजल योजना हेतु खण्ड कार्यालय द्वारा निक्षेप मद के सिविल निर्माण हेतु सात अनुबंध ` 59.44 लाख के गठित किए गये एवं कार्यों पर ` 177.00 लाख सामग्री केन्दीय भण्डार से प्रदान की गई। परन्तु उक्त पेयजल योजना पर ` 254.40 लाख (सिविल निर्माण कार्य : ` 45.00 लाख, सामग्री ` 177.00 लाख एवं सैन्टेज : 32.40 लाख) व्यय के साथ लेखापरीक्षा अथवा अवधि अर्थात् सितम्बर 2016 तक अपूर्ण थी, जबकि अनुबंधों के अनुसार सिविल निर्माण कार्य दो से तीन माह के अन्तद पूर्ण किया जाना था। इस प्रकार, दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भी जैतपुर से बरखेड़ी (लोहिया पुल) एवं ढाकिया–खरमासा की पुरानी पाईप लाईन के स्थान पर पर नई पाइप लाईन शिफ्टिंग का कार्य ` 254.40 लाख व्यय किए जाने के बावजूद भी अधूरा पड़ा हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा अपने उत्तर में बताया कि पेयजल योजना में अभी ए.डी.बी. से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होनी शेष है। जिसके कारण कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके। धनराशि प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण करा लिए जायेंगें। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि गठित अनुबंधों के अनुसार उक्त कार्य दो से तीन माह के अन्दर पूर्ण किया जाना था।

अतः ` 254.40 लाख व्यय किये जाने के बावजूद भी वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 3 : पेयजल आपूर्ति की देय राशि ` 269.90 लाख की वसूली न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रामनगर (नैनीताल) के राजस्व वसूली से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की विस्तृत जांच में पाया गया कि खण्ड के अन्तर्गत चार वसूली इकाईयों में पेयजल आपूर्ति की ` 390.08 लाख की धनराशि वसूली हेतु लम्बित थी, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष में कुल प्रभार	कुल योग	वर्ष के दौरान कुल वसूली	अन्तिम अवशेष
2014–15	235.07	482.53	717.60	482.78	234.82
2015–16	234.82	599.15	833.97	557.92	276.05
20167–17 (8/2016 तक)	276.05	191.18	467.23	77.15	390.08

जांच में पाया कि मार्च 2014 में ` 235.07 लाख वसूली हेतु लम्बित थी जबकि वर्ष के अन्त में यह यह धनराशि ` 235.82 लाख हो गई, जो यह इंगित करता है कि पूर्व की लम्बित वसूली वर्ष के दौरान नहीं की जा रही थी। जिसके कारण लम्बित वसूली मार्च 2014 में ` 235.07 लाख के सापेक्ष अगस्त 2016 में ` 155.01 लाख अधिक बढ़ गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया कि वर्ष 2015–16 में पूर्व लम्बित वसूली हेतु खण्ड कार्यालय द्वारा सर्वे निरीक्षण करवाया गया जिसमें ` 120.18 लाख की वसूली मांग को बोगस पाया गया, जिसे निरस्त करने हेतु उच्चाधिकारियों को जुलाई 2016 में अवगत करा दिया गया है। इस प्रकार, वास्तविक रूप से वसूली योग्य धनराशि मात्र ` 269.90 लाख ही अवशेष है, जिसकी वसूली हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अत पेयजल आपूर्ति की देय राशि ` 269.90 लाख की वसूली न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो–ब

प्रस्तर –4 अग्रिम धनराशि ` 6.24 लाख का समायोजन न किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखंड जल संस्थान रामनगर नैनीताल के अग्रिम से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि खण्ड कार्यालय द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदत स्थाई, अस्थाई एवं विविध अग्रिम की धनराशि ` 6.24 लाख

विगत एक से चार वर्षो से लेखापरीक्षा अवधि (अगस्त 2016) तक असमायोजित थी। प्रदत्त अग्रिमों का विवरण निम्मवत हैः–

क्र. सं	**मद**	**धनराशि**
1-	स्थाई उचन्त	7,000.00
2-	अस्थाई उचन्त	2,83,800.00
3-	विविध अग्रिम	3,32,837.00
योग		**6,23,637.00**

उक्त असमायोजित धनराशि ` 6,23,637,00 में से संगणक श्री वीरेन्द्र सिंह के पास ` 1,43,550.00 एवं कनष्ठि अभिंयता श्री महीप शर्मा के पास ` 1,40,550.00 की धनराशि समायोजन हेतु लम्बित थी। अवशेष धनराशि ` 3,32,837.00 विविध अग्रिम के रूप में विभिन्न कर्मचारियो के पास समायोजन हेतु लम्बित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में बताया कि अग्रिम धनराशि के समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अत अग्रिम धनराशि ` 6.24 लाख के समायोजन न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तराखण्ड जल संस्थान, रामनगर (नैनीताल)** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र